

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

जगदीश बनाम घासीलाल वगै०

किस्म मुकदमा-दावा तकारमा व रथाई निषे०

मु०नं०- 145/2018

पीठासीन अधिकारी- डॉ० नवनीत कुमार (आर०ए०एस०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.03.2026	<p>पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में पत्रांक भू०अ०/2025/2560 दिनांक 29.12.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किए गए हैं उभयपक्ष विभाजन प्रस्ताव से पूर्णतः सहमत हैं इसलिए उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया है कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे। पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित है।</p> <p>अतः तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पत्रांक भू०अ०/2025/2560 दिनांक 29.12.2025 द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार को पालना तहरीर जारी हो।</p> <p>निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p><i>(Signature)</i> उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा</p>	